

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु./5870

जयपुर, दिनांक:- 22/3/18

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक परिवहन सेवा के तहत विभिन्न मार्गों पर प्राप्त आवेदन पत्र वास्ते स्वीकार/सम्मिलित किये जाने के संबंध में समस्त मार्गों पर प्राप्त आवेदनपत्रों पर सुनवायी निम्न सूची के अनुरूप की जावेगी :-

क्रम संख्या	एकल मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	आवेदन पत्र आमंत्रण दिनांक	सुनवायी की तिथि
1	326	JHUNJHUNU-CHURU	08-03-2018	28-03-2018
2	343	CC HEAD - LAKHUWALI	08-03-2018	28-03-2018
3	402	GANGANAGAR-KESRISINGHPUR	08-03-2018	28-03-2018
4	235	SHAHPURA-BEHROD	08-03-2018	28-03-2018
5	237	BEHROD-SHAHJAHANPUR	08-03-2018	28-03-2018
6	91	SAHWA-BHADRA	08-03-2018	28-03-2018
7	1	JAIPUR-AJMER	08-03-2018	28-03-2018
8	181	JHUNJHUNU-KHETRI	08-03-2018	28-03-2018
9	460	JHUNJHUNU-FATEHPUR	08-03-2018	28-03-2018
10	357	NAVA- NAGAU	08-03-2018	28-03-2018
11	329	SUJANGARH-LADNU	08-03-2018	28-03-2018
12	330	LADNU-DEEDWANA	08-03-2018	28-03-2018
13	355	JAIPUR-DEEDWANA	08-03-2018	28-03-2018
14	43	KOTA-JHALAWAR-EKLERI	08-03-2018	28-03-2018
15	325	SARDARSAHAR-CHURU	08-03-2018	28-03-2018
16	386	KHAIRTHAL-BANSUR	08-03-2018	28-03-2018

अतः सभी आवेदककर्तागणों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञप्ति/सूचना में दर्शायी गयी सूचना के अनुसार प्रत्येक मार्ग में आवेदनपत्रों की सुनवायी उसके सम्मुख नियत तिथि 28.03.2018 को दोपहर 2:30 बजे सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार के कार्यालय के भू-गृह प्रथम परिवहन विभाग सहकार मार्ग जयपुर पर की जावेगी। आवेदक स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होवे अन्यथा गुण-अवगुणों पर रिकॉर्ड के अनुसार निर्णय पारित कर दिये जायेंगे।

*(आर.सी. यादव)*  
24/03/2018


सचिव  
राज्य परिवहन प्राधिकार



क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु./5871-74 जयपुर, दिनांक:- 22/3/18

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

1. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने बाबत।
2. सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, अलवर, सीकर, बीकानेर, अजमेर,, जयपुर, कोटा को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने बाबत।
3. मुख्यालय नोटिस बोर्ड।
4. रक्षित पत्रावली।

  
सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार